रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1640] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2016/आषाढ़ 10, 1938
No. 1640] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2016/ ASHADHA 10 , 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2016

का.आ. 2269 (अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा लघु खनिजों के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति और कलस्टर में पट्टों के लिए पर्यावरण आपत्ति पर निदेश दिए गए हैं;

और उक्त अधिसूचना में समूह का उपबंध राजस्थान राज्य में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, जहां अधिकांश छोटे आकार (15×30 वर्ग मीटर या 30×60 वर्ग मीटर) के पट्टे और खदान अनुज्ञप्तियां अनेक वर्षों से प्रचालन में हैं । ऐसे अधिकांश पट्टे वर्षों पूर्व अनुदत्त किए गए हैं और कुटुंब विभाजनों के साथ आगे विखंडित कर दिए गए हैं । ये खान दो पट्टों के मध्य कोई स्थान न छोड़ते हुए एक दूसरे के सन्निकट अवस्थित हैं, जिनसे व्यष्टिक पट्टों के लिए पर्यावरण प्रबंध योजना को तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने में कठिनाई होती है ;

और अनेक पट्टेदार जिन्होंने व्यष्टिक पट्टों के लिए पर्यावरण अनापत्ति के लिए आवेदन किया है किंतु उक्त अधिसूचना में कलस्टर के वर्गीकरण द्वारा इन्हें बी-1 प्रवर्ग में सम्मिलित किया जा रहा है और राज्य स्तर पर प्रक्रिया की जानी है, जबकि छोटे पट्टों के लिए मूल्यांकन और पर्यावरणीय अनापत्ति का कार्य जिला स्तरीय प्राधिकारी को समनुदेशित किया जाता है;

और केन्द्रीय सरकार, खानों के बंद हो जाने के कारण राजस्थान राज्य में अधिकांश व्यक्तियों की अचानक बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों से, जनहित में पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन उनसे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने वाली लोक सूचना से छूट देकर उक्त अधिसूचना का संशोधन करती है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उप धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में उक्त नियम 5 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त करने के पश्चात् भारत सरकार के तत्कालीन वन और पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची के, स्तंभ (5) की मद 1(क) में, प्रविष्टि (ii) को प्रविष्टि (iii) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित प्रविष्टि (ii) से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(ii) खनन पट्टा क्षेत्र के कलस्टर की दशा में प्रवर्ग 'बी 1' के लघु खनिजों के खनन की परियोजना या क्रियाकलाप के लिए ;";

(ख) परिशिष्ट 11 में,-

(i) पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(6) कोई कलस्टर उस समय बनाया जाएगा जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है, जो 9 सितंबर, 2013 को और उसके पश्चात् अनुदत्त खान पट्टों या खदान अनुज्ञप्तियों को लागू होगी ।";

(ii) "कलस्टर स्थिति सहित लघु खनिजों की पर्यावरण अनापत्ति पर अपेक्षाओं का स्कीम संबंधी प्रस्तुतिकरण से संबंधित सारणी के पश्चात् अंत में निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण- (1) राजस्थान राज्य में, समीपस्थ क्षेत्र में बहुत छोटे आकार (प्रत्येक एक हेक्टेयर तक) के अधिकांश पट्टों या खदान अनुज्ञप्तियों की स्थिति में लघु खनिजों के खनन के लिए राज्य सरकार का खान और भू-विज्ञान विभाग,-

(क) खान योजना और पर्यावरण प्रबंध योजना के प्रभावी सूत्रीकरण और कार्यान्वयन के लिए स्थानीय स्थिति के अनुसार कलस्टर के आकार को परिभाषित करेगा;

(ख) कलस्टर के लिए खान योजना और पर्यावरण प्रबंध योजना तैयार करेगा;

(ग) उस सामीप्य में सभी कलस्टरों को सम्मिलित करते हुए क्षेत्रीय खान योजना और क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंध योजना तैयार करेगा

(घ) कलस्टर और क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंध योजना के कार्यान्वयन के लिए पूर्व अवधारित अनुपात में परियोजना प्रस्तावकों से निधियों को जुटाने का उपबंध करेगा ।

(2) जिला खनिज निधि का प्रयोग पर्यावरण प्रबंध योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधि को बढ़ाने के लिए किया जा सकेगा ।

(3) पर्यावरण प्रबंध योजना उस कलस्टर में किसी पट्टे के लिए 15 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् अनुदत्त पर्यावरण अनापत्ति के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की अवधि से नब्बे दिन के भीतर तैयार की जाएगी और प्रस्तुत की जाएगी । राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिश और राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकारी के अनुमोदन पर्यावरण प्रबंध योजना के तैयार किए जाने के साठ दिन के भीतर अनुदत्त किया जाएगा ।

(4) पर्यावरण प्रबंध योजना का कार्यान्वयन राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर आरंभ किया जाएगा । पर्यावरण प्रबंध योजना संबद्ध राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा छह मास के अंतराल पर मानीटर की जाएगी ।

(5) ऐसे पट्टे जो तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए प्रवर्तनशील नहीं है और ऐसे पट्टे जिन्हें 15 जनवरी, 2016 तक पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त हो गई है कलस्टर के क्षेत्र की संगणना करने के लिए नहीं गिने जाएंगे, किंतु पर्यावरण प्रबंध योजना और क्षेत्रीय पर्यावरणीय प्रबंध योजना में सम्मिलित किए जाएंगे । ”।

[सं जेड-11013/98/2014-आईए-II (एम)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित के द्वारा उसमें संशोधन किए गए :-

1. का.आ. 1949(अ), तारीख 13 नवंबर, 2006;
2. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
3. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
4. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011
5. का.आ. 156(अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;
6. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
7. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
8. का.आ. 2204(अ), तारीख 19 जुलाई, 2013;
9. का.आ. 2555(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013;
10. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
11. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;
12. का.आ. 562(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
13. का.आ. 637(अ), तारीख 25 जून, 2014;
14. का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014;
16. का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2014;
17. का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
18. का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
19. का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015;
20. का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015;
21. का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
22. का.आ. 1141(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
23. का.आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015;
24. का.आ. 2571(अ), तारीख 31 अगस्त, 2015
25. का.आ. 2572(अ), तारीख 14 सितंबर, 2015
26. का.आ. 141(अ), तारीख 15 जनवरी, 2016; और
27. का.आ. 648(अ), तारीख 3 मार्च, 2016 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2016

S.O. 2269(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) (hereinafter referred to as the said notification) directions has been given on environmental clearance for minor minerals and environment clearance for leases in cluster;

And whereas, the provision of cluster in the said notification is causing practical difficulty in the State of Rajasthan, where a large number of small size (15×30 sq. mt or 30×60 sq. mt) leases and quarry licenses are operational for many years. A large number of such leases have been granted years before, and have been further fragmented with family partitions. These mines are located adjacent to each other leaving no space between two leases, which make it difficult to prepare and implement Environment Management Plan for individual leases;

And whereas, many of the lessees who applied for environmental clearance for individual leases, but by classification of cluster in the said notification are being included in B1 category and has to be processed at the State level, whereas the work of appraisal and environmental clearance for small leases is assigned to the district level authority;

And whereas, in view of the sudden unemployment of a large number of persons in the State of Rajasthan due to closure of mines, the Central Government hereby amends the said notification by exempting public notice inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment Protection Rules, 1986, in public interest;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rule 5 in public interest, namely :–

In the said notification,-

(a) in the Schedule, in item 1(a), in column (5), entry (ii) shall be renumbered as entry (iii) and before entry (ii) as so renumbered, the following entry shall be inserted, namely:-

“(ii) for project or activity of mining of minor minerals of Category ‘B1’ in case of cluster of mining lease area;”;

(b) in Appendix XI,-

(i) for paragraph 6, the following shall be substituted, namely:-

“(6) A cluster shall be formed when the distance between the peripheries of one lease is less than 500 meters from the periphery of other lease in a homogeneous mineral area which shall be applicable to the mine leases or quarry licenses granted on and after 9th September, 2013.”;

(ii) after the Table relating to “Schematic Presentation of Requirements on Environment Clearance of Minor Minerals including cluster situation” and before Appendix XII, the following Note shall be inserted at the end, namely:-

"Note .- (1) In the State of Rajasthan, for mining of minor minerals, in situation of a large number of leases or quarry licenses of very small size (up to one hectare each) in contiguous area, the Mines and Geology Department of the State Government shall,-

(A) define the size of cluster as per local situation for effective formulation and implementation of mine plan and Environment Management Plan;
(B) prepare mine plan and an Environment Management Plan for the cluster;
(C) prepare a Regional Mine Plan and Regional Environment Management Plan including all the clusters in that contiguity.
(D) provide for mobilistation of funds from the Project Proponents in predetermined proportion for implementation of cluster and Regional Environment Management Plan.

(2) The District Mineral Fund can also be used to augment the fund for implementation of Environment Management Plans.

(3) The Environment Management Plan shall be prepared and presented within ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette for environment clearance granted on or after 15th January, 2016 to any lease in that cluster. The recommendation of the State Expert Appraisal Committee and approval of the State Environment Impact Assessment Authority shall be granted within sixty days of presentation of the Environment Management Plan.

(4) The implementation of the Environment Management Plan shall begin within six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette. The Environment Management Plan shall be monitored at the interval of six months by the concerned State Environment Impact Assessment Authority.

(5) The leases not operative for three years or more and leases which have got environmental clearance as on 15th January, 2016 shall not be counted for calculating the area of cluster, but shall be included in the Environment Management Plan and the Regional Environmental Management Plan.".

[No. Z-11013/98/2014-IA-II (M)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended by :-

1. S.O. 1949 (E), dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E), dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E), dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E), dated the 19th July 2013;

9. S.O. 2555 (E), dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E), dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E), dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E), dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E), dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E), dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E), dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E), dated the 9th October, 2014;
17. S.O. 3252 (E), dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E), dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E), dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E), dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E), dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E), dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E), dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E), dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E), dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E), dated the 15th January, 2016; and
27. S.O. 648 (E), dated the 3rd March, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.